न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 26/2016 (223 आर0टी0एक्ट0)
आर.सी.एम.एस. संख्या :– 2016/00017

उनवान

घमण्डी पुत्र श्री गोरधन जाति माली निवासी न्यामदपुर तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. यादराम पुत्र गंगा
2. गिरधर पुत्र हरिकिशन } जाति माली निवासी न्यामदपुर तह0 वैर जिला भरतपुर।
3. हरि पुत्र गोरधन
4. निरंजन पुत्र रोशन
5. समन्दर पुत्र शेर सिंह
6. किशन सिंह पुत्र जीवन सिंह
7. योगेश पुत्र किशन } जाति जाट निवासी ग्राम न्यामदपुर तहसील वैर जिला भरतपुर।
8. रामवीर पुत्र किशन सिंह
9. सम्पत पुत्र प्रभू

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 27.05.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर प्रकरण संख्या 44/2014 उनवानी घमण्डी बनाम यादराम।

उपस्थित :–
1. श्री महाराज सिंह डागुर एडवोकेट अपीलाण्ट ।
2. श्री गोविन्द सिंह डागुर एडवोकेट रैस्पो0 ।

निर्णय दिनांक :–19.12.2017

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, वैर के निर्णय दिनांक 27.05.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 660 रकबा 10 विस्वा वाके ग्राम न्यामदपुर तहसील वैर जिला भरतपुर के अपीलाण्ट/वादी खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी हैं। रैस्पो0/प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। लेकिन रैस्पो0/प्रतिवादीगण उक्त विवादित आराजी को नाजायज रूप से हडपना चाहते हैं एवं अपीलाण्ट/वादी को विवादित आराजी का पूरा पूरा लाभ नहीं उठाने दे रहे हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर रैस्पो0/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, राजस्व लोक अदालत अभियान में आदेश 9 नियम 5 जा0दी0 में खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट/वादी का दावा अदम तकमील में खारिज करने का आदेश दिया है, जो आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत है तथा धारा 2(2) सीपीसी के तहत डिक्री की संज्ञा में आता है। इसलिए इसकी अपील लाई करती है। राजस्व लोक अदालत अभियान में अपीलाण्ट एवं सभी रैस्पो0 दिनांक 07.07.2015 को उपस्थित हुऐ थे और राजीनामा नहीं होने के कारण आगामी तारीख पेशी 24.08.2015 नियत की गयी थी। किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने तलवी का आदेश देने में भारी त्रुटि की है। दिनांक 07.07.2015 को सभी रैस्पो0 की उपस्थिति के हस्ताक्षर आदेशिका पर उपलब्ध हैं एवं रैस्पो0 संख्या 01,02,04 की ओर से पुष्पेन्द्र सिंह एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया है और रैस्पो0 संख्या 3 की ओर से अजयवीर सिंह एडवोकेट ने मीमो आफ अपील दिये हैं, इसलिए उनकी तलवी की कोई कोई आवश्यकता नहीं होते हुए भी उन्हें तलब किये जाने का आदेश देने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि की है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि आया किस कानूनी प्रावधान के अन्तर्गत दावा खारिज किया है। अपीलाधीन आदेश में जिस आदेश 9 नियम 5 सीपीसी में दावा खारिज करने का हवाला दिया है वह भी कतई गलत है क्योंकि आदेश 9 नियम 5 सीपीसी में स्पष्ट फाइडिंग देनी होती है कि रैस्पो0 की तामील होना सम्भव नहीं रहा है और विशिष्ठ प्रकार से तलवी करनी है, उसमें चूक होने पर ही इस प्रावधान में दावा खारिज किया जा सकता है वह भी डिक्री की संज्ञा में आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने जिस आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के अन्तर्गत दावा खारिज किया है, वह गलत किया गया है। आदेश 9 निमय 5 सीपीसी में दावा डिसमिस होता है ना कि खारिज। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावें एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाकर, दावा अपीलाण्ट/वादी पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधीवक्ता रैस्पो0 ने जवावी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं है। अपीलाण्ट का दावा अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 09 नियम 5 सीपीसी में खारिज हुआ है। जिसकी अपील लाई नहीं करती है। अपीलाण्ट का उक्त आदेश के विरूद्ध रिवीजन में जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को शेष रैस्पो0 की तलवी हेतु सम्मन पेश करने हेतु कई अवसर दिये गये, किन्तु उनके द्वारा सम्मन पेश नहीं किये। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही रैस्पो0 की तलवी हेतु सम्मन पेश नहीं करने के कारण, अपीलाण्ट का दावा खारिज किया है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आर0आर0टी0 2012(1) पेज 290 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. पत्रावलियों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलण्ट/वादी का दावा रैस्पो0 संख्या 04 लगायत 9 की तलवी हेतु सम्मन तलवाना पेश करने हेतु कई अवसर दिये जाने के बाबजूद, पेश नहीं करने के कारण अदम तकमील में आदेश 09 नियम 5 जा0दी0 में खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 07.07.2015 के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि रैस्पो0 संख्या 04 लगायत 9 में से 4, 5, 6 व 9 द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान 2015 न्याय आपके द्वार मुकाम ग्राम पंचायत हतीजर में स्वयं उपस्थित हुए हैं एवं उनके हस्ताक्षर आदेशिका पर उपलब्ध हैं। किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सभी रैस्पो0 की तलवी हेतु तलवाना पेश करने हेतु अग्रिम पेशियॉ नियत की गई हैं। जब रैस्पो0 संख्या 04, 05, 06 व 09 राजस्व लोक अदालत अभियान में स्वयं उपस्थित हो ही गये थे तो पुनः उनको तलब किया जाना, अतार्किक एवं प्रकरण को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अनावश्यक लम्बा खींचना प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण का निस्तारण तकनीकी आधार की बजाय गुणावगुण पर करना चाहिए। अतः न्यायहित में हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर के आदेश दिनांक 27.05.2016 निरस्त किये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण को समुचित सुनवाई कर विधिअनुसार निर्णित करें। उभयपक्ष सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.01.2018 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 19.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official